12.55 hrs.

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Will your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 27th February, 1978, will consist of:-

- (1) Consideration of any item of Government Business carried from today's Order Paper.
- (2) General Discussion the Railway Budget for 1978-79.
- (3) Further consideration and pasing of the public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and miscellaneous Provisions Bill 977, at 6 P.M. on Monday, the 27th February, 1978.

As the House is already aware, the General Budget for 1978-79 will be presented at 5 P.M. on Tuesday, the 28th February, 1978.

# 12.56 hrs.

STATEMENT RE. CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 255 2ND DECEMBER, 1977 RE, FISH CATCH FROM COASTAL AREAS OF TAMIL NADU AND KERALA

वारिएक्य तथा नागरिक पूर्ति भ्रौर सह-कारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण **कुमार गोय**ल) ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी <del>प्रनुम</del>ति से श्री ग्रारिफ़ बेग की ग्रोर से 2 दिसम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 255 भाग (क) के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया था उसके सुधार के सम्बन्ध में वक्तव्य देता हं।

लोक सभा ताराकित प्रश्न सं० 255 का उत्तर 2-12-77 को सभा पटल पर रखा गया था। इस प्रक्रन के भाग (क) के उत्तर में एक विवरण भी सभा पटल पर रखा गया था

जिसमें यह बताया गया था कि तमिलनाडु तथा केरल स्थित पत्तनों से झींगा मछली के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह पता चला है कि लिखाई की भूल होने से तमिलनाड स्थित पत्तनों से झींगा मछली के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में दिये गये श्रांकड़ों में मामुली सी श्रशुद्धि रह गई: सही श्रांकडे निम्नोक्त प्रकार हैं:

वर्ष		तिमलनाडु स्थित पत्तनों से झींगा मछली के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा
		(करोड़ रु० में)
1975		11.42
1976	•	20.43
(भ्रनन्ति	म) 	 

उपरोक्त तारांकित प्रक्रन के भाग (क) के उत्तर में दिये गये विवरण में दिखाए गए भ्रांकड़ों के स्थान पर कृपया उपरोक्त भ्रांकड़े रखे जायें।

STATEMENT RE. CORRECTION ANSWER TO S.Q. NO. 533 DATED 23RD DECEMBER, 1977 RE. VISIT OF CHINESE DELEGATION TO INDIA

वाशिष्य तथा नागरिक पृति श्रोर सह-कारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : ऋध्यक्ष महोदय, मैं श्रापकी म्रनमित से श्री म्रारिफ़ बेग की म्रोर से तारां-कित प्रश्न सं० 533 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर जो 23-12-77 को दिया गया था उसके सुधार के सम्बन्ध में वक्तव्य देता हं।

285 Correction of PHALGUNA 5, 1899 (SAKA) Matters under Rule 377 286

Answer (Statement)

23 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 533 के अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया था, उसमें अन्य बातों के साथ साथ वस्तुत: यह बताया गया था कि राज्य व्यापार निगम, भारतीय इंजीनियरी उद्योग एसोसियेशन और मूल रसायन भेषज एवं प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद ने 42वें केन्टन मेले में भाग लिया । इन संगठनों ने 41वें केंटन मेले में भाग लिया था । सरकारी क्षेत्र के जिन भारतीय संगठनों ने 42वें केंटन मेले में भाग लिया था । सरकारी क्षेत्र के जिन भारतीय संगठनों ने 42वें केंटन मेले में भाग लिया था वे हैं राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (अन्तर्राष्ट्रीय) और सेल अन्तर्राष्ट्रीय ।

उसी संदर्भ में यह भी बताया गया था कि निम्नलिखित चीनी निगमों को भारत ग्राने के लिये ग्रामंत्रित किया गया था:

- (1) चीन राष्ट्रीय हल्के ग्रीद्योगिक उत्पाद व निर्यात निगम
- (2) चीन राष्ट्रीय धातु व खनिज श्रायात व निर्यात निगम
- (3 चीन राष्ट्रीय मशीनरी श्रायात व निर्यात निगम
- (4) चीन राष्ट्रीय रसायन श्रायात व निर्यात निगम
- (5) चीन राष्ट्रीय तकनीकी श्रायात निगम, श्रौर
- (6) चीन राष्ट्रीय भ्रनाज, तेल व खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन निगम । ; वस्तुतः इन निगमों में से केवल पहले पांच निगमों को ही भ्रामंतित किया गया है।

12.58 hrs.

١.

### **ELECTION TO COMMITTEE**

### RUBBER BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND

CIVIL SUPPLIES AND COOPERA-TION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): Sir, on behalf of Shri Arif Baig, I beg to move the following:

"That in pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act."

MR. SPEAKER: The question is:

"That is pursuance of sub-section (3) (e) of Section 4 of the Rubber Act, 1947, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Rubber Board, subject to the other provisions of the said Act.

The motion was adopted.

12.59 hrs.

#### MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED DISMISSAL OF WORKERS IN BANMAUR CEMENT FACTORY IN MORENA DISTRICT

श्री छिबराम ग्रगंस (मुरैना): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के ग्रन्तर्गन इस सदन का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में स्थित वानमौर ए०सी०सी० सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे 100 मजदूरों को इंटक यूनियन के इशारे पर प्रबन्धकों ने बिना कारण बताये सेवा से पृथक कर दिया गया है। इस कारण 100 परिवारों की भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है। इन निकाले गये मजदूरों के स्थान पर ग्रन्य मजदूरों को सेवा में ले लिया। गया है।